



**MP Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.**  
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)



**MPTRIFAC (MP Trade and Investment Facilitation Corporation)** is acting as the Single Window Secretariat for Investment promotion and facilitation in the state since 2004. MP TRIFAC has developed an ICT (Information & Communication Technology) enabled single window system, which allows the investor to apply online for various approvals required to setup a business in the state. The timelines for the approvals /services provided through single window portal are mentioned below. These timelines are notified under Public Service Guarantee Act.

**Citizen Charter for Single Window System Services**

Sr. No	List of Services	Timeline
<b>A</b>	<b>Commerce, Industry &amp; Employment Department</b>	
1	Allotment of Land a. Issuance of Letter of Intent - 15 Days b. Issuance of Allotment order - 7 Days c. Execution of Lease deed - 30 Days d. Possession - 7 Days	59 Days
2	Water Connection by AKVN	15 Days
3	Building Permission by AKVN	30 Days
4	Registration of Boilers	30 Days
5	Boiler Inspection & Renewal	17 Days
6	Permission to Transfer Boiler	15 Days
7	Registration under Boiler Act to work as Erector	30 Days
8	Registration under Boiler Act to work as Manufacturer	30 Days
9	Renewal under Boiler Act to work as Erector	30 Days
10	Renewal under Boiler Act to work as Manufacturer	30 Days
11	Permission for Manufacturing of Boilers under Boilers Act	15 Days
12	Fiscal incentives (As per policy) Issuance of intent letter Granting sanction and disbursal of applicable incentives	3 Days 60 Days
<b>B</b>	<b>Labour Department</b>	
13	Registration under Shops & Establishment Acts	30 Days (Provisional 1 Day)
14	Renewal under Shops & Establishment Acts	30 Days
15	Permission for engaging contractor for labour	30 Days
16	Factory License (under hazardous & non- hazardous category)	30 Days
17	Renewal of Factories License	30 Days
18	Factory Building Plan Approval	30 Days
19	Registration under The Building and Other Construction Workers (BOCW)	30 Days
20	Registration certificate of Establishment Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Act,1979	30 Days
<b>C</b>	<b>Energy Department</b>	

21	Electricity Connection - HT (East, West, Central Zone)	7 Days
<b>D</b>	<b>Urban Development &amp; Environment Department</b>	
22	Fire NOC (No Objection Certificate)	60 Days
<b>E</b>	<b>Pollution Control Board</b>	
23	Consent to Establish ( Under Water Act & Air Act)	45 Days
24	Consent to Operate ( Under Water Act & Air Act)	45 Days
25	Authorization under Hazardous Waste Rules	45 Days
26	Consent to Operate Renewal (Under Water & Air Act)	45 Days (Red) Self-Certification (Green & Orange)
<b>F</b>	<b>Food and Civil Supplies (Controller Weights and Measures)</b>	
27	License as Manufacturer of Weights and Measures	45 Days
28	License as Dealer of Weights and Measures	30 Days
29	License as Repairer of Weights and Measures	30 Days
30	Registration as Packers/Importer of Weights and Measures	7 Days

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर 2015—आश्विन 7, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं एवं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपीली अधिकारी का पदनाम, प्रथम अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं**

क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18	दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
2.19	दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन के साथ नवीनीकरण.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

795

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.15	अन्तर्राज्तीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना.	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त
------	---	--	----------------	---------	----------------	--------------

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.8	संविदा श्रम ( वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम आयुक्त.	30 कार्य दिवस	उप श्रमायुक्त	45 कार्य दिवस	अपर श्रमायुक्त/ श्रमायुक्त.
-----	--	---	---------------	---------------	---------------	-----------------------------

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.11	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खरतनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाना.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्दौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र. इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम विभाग.
------	--	--	----------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकृत अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.20	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6, 7 सपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना.	मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र., इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग.
2.17	मोटर एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी / जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त

#### सुदि-पत्र

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी -2.-विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 18 मई, 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 18 मई, 2015 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई है, अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 377 सेवा क्रमांक 2.17 के कॉलम (2) में वर्णित सेवाएं में उल्लेखित "मोटर" के स्थान पर "भवन" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 626]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014—पौष 3, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसट-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2013 के माध्यम से आवास एवं पर्यावरण विभाग (वर्तमान में नगरीय विकास एवं पर्यावरण) द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

17.3	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
------	---	---	---------------	---	---------------	---

17.4	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.7	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद् / मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.8	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त वृहद् / मध्यम श्रेणी उद्योगों को सम्मति.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.13	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्टर गिट्टी एवं रेत खदान को परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाई क्लिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.16	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद्/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 सितम्बर 2017—भाद्र 14, शक 1939

#### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

#### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16	अ. मीटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.17	विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (बिजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर).	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.18	बकाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित कनेक्शन को पुनः संयोजित करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी.	2 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र-वितरण केन्द्र प्रभारी.	4 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए नापतौल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी)	45 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.14	निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.16	विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.18	सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.19	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	07 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सहकारिता विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.3	नवीन सहकारी संस्था का पंजीयन.	1. जिला स्तर पर उप/सहायक पंजीयक. 2. संभाग स्तर पर संयुक्त पंजीयक. 3. प्रदेश स्तर पर अपर/पंजीयक.	45 कार्य दिवस.	1. संभागीय संयुक्त पंजीयक. 2. अपर पंजीयक मुख्यालय. 3. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म. प्र.	20 कार्य दिवस.	1. अपर पंजीयक मुख्यालय. 2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म. प्र. 3. प्रमुख सचिव म. प्र. शासन सहकारिता.
35.4	फिशरमैन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान साख पत्र जारी करना.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के संस्था प्रबंधक.	30 कार्य दिवस.	जिले के उप/सहायक आयुक्त सहकारिता.	30 कार्य दिवस.	संभाग के संयुक्त आयुक्त सहकारिता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-5.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.5	कॉलोनाइजर लायसेंस.	(1) आयुक्त, नगरपालिका निगम के लिए. (2) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए.	30 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.6	1. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (ले-आउट).	जिले में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश.	60 कार्य दिवस.	1. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहां संयुक्त संचालक, जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. संभागीय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (जहां उप संचालक/सहायक संचालक जिला अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).		
	2. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (आंतरिक विकास).	(1) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(2) आयुक्त, नगरपालिका निगम के लिए.	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.7	भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(2) नगरपालिका निगम क्षेत्र में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो).	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
		(3) आयुक्त, नगरपालिका निगम	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.8	फायर एन.ओ.सी. (1) आस्थाई	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	60 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.
	(2) नवीनीकरण	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत  
म. प्र. ट्रायफेक की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.1	औद्योगिक इकाइयों के लिये जल का आवंटन.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक, एकेव्हीएन	10 कार्य दिवस.	अध्यक्ष एकेव्हीएन.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.9	उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (सेक्शन लेटर) प्रदान करना.	अ. 33 के. व्ही. तक-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	7 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय प्रबंध निदेशक

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—आश्विन 18, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.32	संबिदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीयन प्रदान किया जाना.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस.	उप श्रम आयुक्त	45 कार्य दिवस.	अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.



## भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-42.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मदरसा बोर्ड की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1	मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता.	संबंधित जिला अधिकारी.	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित आनलाईन/आफलाईन द्वारा बोर्ड में भेजने हेतु 45 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.
		सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	जिला शिक्षा अधिकारी से निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशांसा सहित आनलाईन/आफलाईन प्राप्त होने पर पंजीयन एवं नवीन मान्यता जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.
42.2	मदरसा मान्यता का नवीनीकरण.	सचिव, म. प्र. मदरसा बोर्ड.	आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्ड कापी सहपत्रों सहित प्राप्त होने पर. (अ) स्कूटनी उपरांत आवेदन पूर्ण पाये जाने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस. (ब) आवेदन की स्कूटनी में कमी पाये जाने पर आवेदन को अवगत कराने हेतु 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मदरसा बोर्ड.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(स) कमी की पूर्ति बोर्ड में प्राप्त होने पर मान्यता का नवीनीकरण जारी करने हेतु 30 कार्य दिवस.			
42.3	समिति पंजीयन	सचिव, म. प्र. मद्रसा बोर्ड.	आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकापी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात् समिति पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मद्रसा बोर्ड.
42.4	समिति का नवीनीकरण.	सचिव, म. प्र. मद्रसा बोर्ड.	(अ) आनलाईन आवेदन पश्चात् आवेदन की हार्डकापी निर्धारित सहपत्रों सहित बोर्ड को प्राप्त होने पर पदाधिकारी पूर्वानुसार होने की स्थिति में समिति नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 45 कार्य दिवस. (ब) बिन्दु क्रमांक-अ के अन्तर्गत पदाधिकारी पूर्वानुसार नहीं होने की स्थिति में ठहराव प्रस्ताव मंगाने हेतु 30 कार्य दिवस. (स) बिन्दु क्रमांक -ब की कमी पूर्ति होने के उपरान्त 30 कार्य दिवस.	अपर/संयुक्त संचालक (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) लोक शिक्षण म. प्र.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. मद्रसा बोर्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

## मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

## मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/एम.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु

20.8	आशय पत्र जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	15 कार्य दिवस (विधिवत् पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.9	आवंटन आदेश जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	7 कार्य दिवस (आशय पत्र में विहित शर्तों की पूर्ति होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.10	पट्टा अभिलेख का निष्पादन.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	30 कार्य दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.11	आधिपत्य प्रदान करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/आईआईडीसी.	07 कार्य दिवस (पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.12	म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी के अधीन नगरीय क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमि./इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) एम. पी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. भोपाल.	15 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. /प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग भोपाल.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्यंत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्यंत्र की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.2	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अंतर्गत बायलर का निरीक्षण.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	17 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.3	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.4	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.9	ट्रेड लाइसेंस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अधिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका निगम क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.
5.10	नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण (वृक्षों को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसके व्ययन) की अनुज्ञा अभिप्राप्त करना.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अधिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.11	नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत वृक्षों के परीक्षण नियम में अनुमति प्राप्त वनोपज के लिये अभिवहन पास.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए.	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अभिकरण.	संभागीय संयुक्त संसाधक, नगरीय विकास एवं आवास.
		वृक्ष अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम.	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत  
म. प्र. ट्रायफेक की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.1	औद्योगिक इकाइयों के लिये जल का आवंटन.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक, एकेव्हीएन	10 कार्य दिवस.	अध्यक्ष एकेव्हीएन.

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक, वाष्पयंत्र, द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत  
म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.1	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन.	निरीक्षक बायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	निरीक्षक बायलर ग्रेड-प्रथम/उप संचालक बायलर.	20 कार्य दिवस.	संचालक बायलर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2017—कार्तिक 4, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-20.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(अ) आशय-पत्र जारी करना

20.13 वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार).	प्रबंधक (फिस्कल इन्सैंटिव).	03 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (फिस्कल इन्सैंटिव).	07 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक एम. पी. ट्रायफेक.
---	-----------------------------	----------------	---	----------------	---------------------------------



## (ब) प्रयोज्य वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.14	वित्तीय सुविधा/सहायता की पात्रता का निर्धारण.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस.	निवेश संवर्द्धन पर मंत्री परिषद समिति (सी सी आई सी).
20.15	वेट/जीएसटी अन्तर्गत वितरण (दिनांक 01-07-2017 से जीएसटी प्रणाली अंतर्गत प्रतिपूर्ति).	एम. पी. ट्रायफेक का संचालक मंडल.	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	60 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.16	वृहद श्रेणी की टेक्सटाईल इकाइयों हेतु ब्याज अनुदान.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.17	अधोसंरचना विकास पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.18	औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.19	वृहद श्रेणी इकाइयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी/एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगिकीकरण).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).

नोट:— क्र. 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर उल्लेखित सहायता हेतु निर्धारित समय-सीमा प्रकरण स्वीकृति के लिये है, किन्तु सहायता राशि वितरण, बजट की उपलब्धता के अधीन होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.